Registered No. E. P. 97 रजिस्टर्ड नं० इ० पी० ९७

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 29 मार्च, 1956

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

दिनांक शिमला-4, 24 मार्च, 1956

सं० वी० एस०/56.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 102 के अधीन निम्नलिखित विधेयक जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 24 मार्च, 1956 को पुरःस्थापित हुआ, एतद्द्वारा सर्वसामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 35, 1956

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1956

(जैसा कि विधान सभा में पुरः स्थापित हुआ)

31 मार्च, 1957 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवाओं के लिए संचित निधि में से कतिपय राशियां चुकाने और उन का विनियोग करने के हेतु

विधेयक

यह निम्नलिखित रूप में विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया जाए :—

1. संक्षिप्त नाम.—यह अधिनियम 1956 का "हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (नं०)" कहलाएगा।

2. वर्ष 1956-57 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 6,75,53,000 रुपये निकाला जाना.—31 मार्च, 1957 को अन्त होने वाले वर्ष, की सेवाओं के व्ययों को पूरा करने के हेतु उन को चुकाने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के सञ्चित धन में से अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में विशिष्ट राशियां चुकाई जाएं, जो उस स्तम्भ में विशिष्ट राशियों, जिन का जोड़ छः करोड़ पचहत्तर लाख और त्रेपन हजार रुपये है उस से अधिक नहीं होंगी ।

3. विनियोग.—हिमाचल प्रदेश राज्य की सञ्चित निधि में से जिन राशियों को इस अधिनियम द्वारा चुकाने और प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, उन राशियों का विनियोग, 31 मार्च, 1957 को अन्त होने वाले वर्ष के विषय में अनुसूची में प्रदर्शित सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए किया जायेगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान की संख्या	सेवाएं तथा प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
1	2	3		4
1	मालगुजारी ...	11,44,000	—	11,44,000
2	राज्य आबकारी ...	2,00,000	—	2,00,000
3	स्टाम्प ...	9,000	—	9,000
4	वन ...	39,81,000	—	39,81,000
5	रजिस्ट्री ...	1,000	—	1,000
6	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	8,000	—	8,000
7	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय ...	1,000	—	1,000
8	राजस्व से होने वाले अन्य व्यय जो साधारण राजस्व से किए जाते हैं ...	6,41,000	—	6,41,000
	ऋण तथा अन्य दायित्व पर ब्याज ...	—	30,000	30,000
9	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय ...	31,53,000	1,64,000	33,17,000
10	न्याय प्रशासन ...	4,72,000	35,000	5,07,000

1	2	3		4
11	कारागार तथा बन्दी बस्तियां ...	2,20,000	—	2,20,000
12	पुलिस ...	28,29,000	—	28,29,000
13	वैज्ञानिक विभाग ...	3,000	—	3,000
14	शिक्षा ...	60,70,000	—	60,70,000
15	चिकित्सा ...	27,50,000	—	27,50,000
16	सार्वजनिक स्वास्थ्य ...	19,83,000	—	19,83,000
17	कृषि ...	17,98,000	—	17,98,000
18	पशु चिकित्सा ...	7,12,000	—	7,12,000
19	सहकारिता ...	7,27,000	—	7,27,000
20	उद्योग तथा प्रदाय ...	20,97,000	—	20,97,000
21	विविध विभाग ...	1,21,000	—	1,21,000
22	नागरिक निर्माण कार्य ...	55,34,000	—	55,34,000
23	यातायात ...	40,35,000	—	40,35,000
24	साधारण राजस्व से वितयोषित विद्युत योजनाओं पर व्यय ...	4,01,000	—	4,01,000
25	भारतीय नरेशों का भत्ता निजि व्यय तथा भत्ते	2,42,000	—	2,42,000
26	वृद्धावस्था के भत्ते तथा निवृति वेतन..	1,04,000	—	1,04,000
27	लेखन सामग्री तथा मुद्रण ...	3,82,000	—	3,82,000
28	विविध ...	23,41,000	—	23,41,000
29	बिजली योजना सम्बन्धी व्यय ...	1,80,000	—	1,80,000
30	बस वा जल की सेवाओं पर व्यय ...	37,61,000	1,89,000	39,50,000

1	2	3		4
31	सामूहिक विकास योजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा लोकल डवेल्पमैंट वर्कस ...	43,21,000	—	43,21,000
32	वन सम्बन्धी पूंजी व्यय	1,40,000	—	1,40,000
33	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई कार्यों पर पूंजी व्यय ...	12,16,000	—	12,16,000
34	कृषि सुधार एवं खोज की योजनाओं पर पूंजी लागत ...	96,000	—	96,000
35	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक कार्यों पर पूंजी लागत ...	77,63,000	—	77,63,000
36	विद्युत योजनाओं पर पूंजी व्यय ...	31,30,000	—	31,30,000
37	पथ परिवहन योजनाओं पर पूंजी व्यय	12,00,000	—	12,00,000
38	निवृत्ति-वेतनों के अंतर्वर्तित मूल्य के भुगतान ...	3,000	—	3,000
39	राजकीय व्यापार की योजनाओं पर पूंजी व्यय ...	2,26,000	—	2,26,000
	कर्जे की वापसी पर व्यय ...	—	5,60,000	5,60,000
40	ऋण तथा अग्रिम धन जिन पर ब्याज लगता है ...	25,80,000	—	25,80,000
	योग ...	6,65,75,000	9,78,000	6,75,53,000

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वित्तीय वर्ष 1956-57 के लिए हिमाचल प्रदेश शासन के आगणित व्यय (Estimated Expenditure) के सम्बन्ध में संचित निधि पर भारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि का विनियोग करने की व्यवस्था करने के लिए यह विधेयक 'ग' भाग राज्य शासन अधिनियम, 1951 (Government of Part 'C' States Act, 1951) की धारा 30 तथा 'ग' भाग राज्य शासन (संशोधन) अधिनियम, 1954 [Government of Part 'C' States (Amendment) Act, 1954] की धारा 7 के अनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

शिमला :
दिनांक 21 मार्च, 1956

वित्त मन्त्री।

दिनांक शिमला-4, 24 मार्च, 1956

सं० बी० एस०/56.- हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 102 के अधीन निम्नलिखित विधेयक जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 24 मार्च, 1956 को पुरःस्थापित हुआ, एतद्द्वारा सर्वसामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 36, 1956

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1956

(जैसा कि विधान सभा में पुरः स्थापित हुआ)

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 में संशोधन की व्यवस्था करने का विधेयक

यह भारत गणतन्त्र के सातवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए :

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 होगा।

2. **हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 1 में संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (अधिनियम सं० 6,1954) (जिसे यहां से आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 में अंक "1953" के स्थान पर अंक "1954" रखा जाए।

3. **धारा 7 में संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 7 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :—

"(1) माल अधिकारियों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी, अर्थात् :—

(क) फाइनेन्शियल कमिशनर;

(ख) कलेक्टर;

(ग) पहली श्रेणी का एसिस्टैंट कलेक्टर; और

(घ) दूसरी श्रेणी का एसिस्टैंट कलेक्टर:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यशासन आवश्यक समझे तो एक या एक से अधिक कमिश्नर नियुक्त कर सकेगा।

4. **धारा 14 में संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 14 के खन्ड (ख) में शब्द "कमिश्नर" और शब्द "के" के बीच में शब्द "या यदि कोई कमिश्नर न हो तो फाइनैन्शियल कमिश्नर" रखे जाएं ।

5. **धारा 62 में संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 62 में विराम (।) के स्थान पर कोलन (:) रखा जाए और निम्नलिखित परादिक जोड़ा जाए :—

"परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई कमिश्नर न हो तो पूर्ववर्ती अंतिम धारा या धारा 55 के अधीन दिए गए आदेश पर अपील फाइनैन्शियल कमिश्नर के पास होगी ।"

6. **धारा 94 में संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 94 में शब्द "कमिश्नर" और शब्द 'की' के बीच में शब्द, "या यदि कोई कमिश्नर न हो, तो फाइनैन्शियल कमिश्नर" रखे जाएं ।

7. **धारा 95 में संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 95 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :—

"95. **कमिश्नर या फाइनेन्शियल कमिश्नर को बिक्री की रिपोर्ट भेजना.**—इस अध्याय के अधीन अचल सम्पत्ति की प्रत्येक बिक्री की रिपोर्ट, कलेक्टर द्वारा कमिश्नर को या यदि कोई कमिश्नर न हो तो फाइनेन्शियल कमिश्नर को भेजी जाएगी ।"

8. **धारा 96 में संशोधन.**—(1) मूल अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

"(1) बिक्री के दिनांक से तीस दिन के अन्दर किसी भी समय, बिक्री करने में या इस के प्रकाशन में हुई किसी महत्व रखने वाली अनियमता (irregularity) या गलती के आधार पर बिक्री को रद्द करने के लिए कमिश्नर या यदि कोई कमिश्नर न हो तो फाईनैन्शियल कमिश्नर को प्रार्थनापत्र दिया जा सकेगा ।"

(2) उक्त धारा की उपधारा (2) में शब्दों "कमिश्नर" और "का" के बीच में शब्द "या यदि कोई कमिश्नर न हो तो फाइनेन्शियल कमिश्नर" रखे जाएं ।

9. **धारा 97 में संशोधन.**—मूल अधिनियम की उपधारा (1) में जहां कहीं शब्द "कमिश्नर" आता है उसके स्थान पर शब्द "कमिश्नर या यदि कोई कमिश्नर न हो तो फाइनैन्शियल कमिश्नर" रखे जाएं ।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1953 मे किसी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध कमिश्नर के पास अपील इत्यादि करने की व्यवस्था की गई है जिससे कि इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यों के सम्पादन की अपेक्षा की गई है । हिमाचल प्रदेश में अभी कमिश्नर का पद नहीं है।

अतएव इस विधेयक द्वारा किसी कमिश्नर के कर्तव्य सम्पादन हेतु फाइनेन्शियल कमिश्नर को अधिकृत करना वांछित है।

यशवन्त सिंह परमार

दिनांक शिमला-4, 24 मार्च, 1956

सं० वी० एस०/56.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 102 के अधीन निम्नलिखित विधेयक जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 24 मार्च, 1956 को पुर:स्थापित हुआ, एतद्द्वारा सर्वसामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 37, 1956

हिमाचल प्रदेश तरण (ferries) विधेयक, 1956

(जैसा कि विधान सभा में पुर:स्थापित हुआ)

हिमाचल प्रदेश में तरणों (ferries) का आनियमन करने का

विधेयक

यह भारत गणतंत्र के सातवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए :

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश तरण (ferries) अधिनियम, 1956 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश में होगा।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा, जो राज्यशासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस हेतु नियत करे।

2. **परिभाषा.**—जब तक विषय अथवा संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

(1) "तरण (ferry)" के अन्तर्गत हैं—नौकाओं, पीपों या लट्ठों के बेड़े (pontoons or rafts) का पुल, झूला पुल (swing bridge), हवाई पुल (flying bridge) और अस्थायी पुल (temporary bridge) तथा तरण (ferry) पर चढ़ने तथा उसके ठहरने के स्थान।

(2) "राज्य शासन" का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल से है।

अध्याय 2

सार्वजनिक तरण (public ferries)

3. सार्वजनिक तरणों (public ferries) के सम्बन्ध में घोषणा करने, उनकी स्थापना तथा परिभाषा करने और उन्हें बन्द करने की शक्ति.—(1) राज्यशासन समय समय पर—

(क) यह घोषणा कर सकेगा कि कौन से तरण (ferries) सार्वजनिक तरण (public ferries) समझे जाएंगे तथा उन सम्बद्ध जिलों की घोषणा कर सकेगा, जिनमें इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ वे स्थित समझे जाएंगे;

(ख) निजि तरण (private ferry) पर कब्जा कर सकेगा और उसे सार्वजनिक तरण (public ferry) घोषित कर सकेगा;

(ग) नए सार्वजनिक तरण (public ferries) स्थापित कर सकेगा जहां उसकी सम्मति में उनकी आवश्यकता हो;

(घ) किसी भी सार्वजनिक तरण (public ferry) की सीमाएं परिभाषित कर सकेगा;

(च) किसी भी सार्वजनिक तरण (public ferry) का मार्ग बदल सकेगा; तथा

(छ) किसी भी सार्वजनिक तरण (public ferry) को बन्द कर सकेगा, जिसे वह अनावश्यक समझे।

(2) उक्त प्रत्येक घोषणा, स्थापना, परिभाषा, परिवर्तन अथवा तरणबन्दी राजपत्र में अधिसूचना देकर की जाएगी:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कोई नदी दो राज्यों के बीच पड़ती हो तो उक्त नदी के सम्बन्ध में इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियां हिमाचल प्रदेश शासन द्वारा अन्य राज्य के शासन के परामर्श से प्रयोग में लाई जा सकेंगी, और सम्बद्ध राज्य शासनों द्वारा अपने अपने राजपत्रों में अधिसूचनाएं दी जा सकेंगी:

परन्तु यह भी कि यदि नदी के परिवर्तन से किसी सार्वजनिक तरण (public ferry) के मार्ग या सीमाओं में कोई आपरिवर्तन करना आवश्यक हो जाए तो उक्त आपरिवर्तन उस जिले के डिप्टी कमिश्नर द्वारा हस्ताक्षरित आदेश से किया जा सकेगा, जिसमें उक्त तरण (ferry) स्थित हो या ऐसे अन्य किसी पदाधिकारी के हस्ताक्षरित आदेश से किया जाएगा, जिसे राज्यशासन समय समय पर नाम द्वारा या पदाधिकारी के रूप में इस हेतु नियुक्त करे।

4. प्रतिधन की मांगें.—धारा 3 के अधीन किसी निजि तरण (private ferry) का कब्जा लेने के परिणामस्वरूप यदि किसी व्यक्ति को कोई हानि पहुँची हो तो राज्यशासन द्वारा उस हानि के लिए उस जिले के, जिसमें उक्त तरण (ferry) स्थित हो, जिला मजिस्ट्रेट से या ऐसे अन्य पदाधिकारी से, जिसे वह इस हेतु नियुक्त करे, परिपृच्छा करने के पश्चात् उस व्यक्ति को प्रतिधन दिया जाएगा।

5. **सार्वजनिक तरणों (public ferries) का अधीक्षण.**—(1) धारा 6 और 7 में व्यवस्थित दशा को छोड़ कर, प्रत्येक सार्वजनिक तरण (public ferry) का निकटतम अधीक्षण (immediate superintendence) उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट में निहित होगा, जिसमें उक्त तरण (ferry) स्थित हो या ऐसे पदाधिकारी में निहित होगा, जिसे राज्यशासन इस हेतु नाम द्वारा या पदाधिकारी के रूप में समय समय पर नियुक्त करे।

(2) उस दशा को छोड़ कर जब उक्त तरण (ferry) के टोल (tolls) पट्टे पर दिए जाते हों, मजिस्ट्रेट या पदाधिकारी उक्त तरण (ferry) के लिए नौकाओं की व्यवस्था करने के हेतु वहां पर आरोप्य प्राधिकृत टोल (toll) का संग्रह करने के लिए समस्त आवश्यक प्रबन्ध करेगा।

6. **प्रबन्ध म्युनिसिपैलिटी में निहित किया जा सकेगा.**—राज्यशासन यह निदेश दे सकेगा कि किसी नगर की सीमाओं में स्थित किसी भी सार्वजनिक तरण (public ferry) का प्रबन्ध ऐसा पदाधिकारी या ऐसी सार्वजनिक संस्था करेगी, जिसे उक्त नगर के नागरिक प्रबन्ध का अधीक्षण सौंपा गया हो, और इसके पश्चात् उस तरण (ferry) का प्रबन्ध तदनुसार किया जाएगा।

7. **प्रबन्ध जिला पंचायत में निहित हो सकेगा.**—राज्यशासन यह निदेश दे सकेगा कि जिला पंचायत के प्राधिकाराधीन रहते हुए पूर्णतया या अंशतया किसी भी सार्वजनिक तरण (public ferry) का प्रबन्ध जिला पंचायत द्वारा किया जा सकेगा और इसके पश्चात् उस तरण (ferry) का प्रबन्ध तदनुसार किया जाएगा।

8. **तरण (ferry) के टोलों (tolls) का नीलामी द्वारा देना.**—(1) समय समय पर किसी भी सार्वजनिक तरण (public ferry) के टोल (tolls) जिले के डिप्टी कमिश्नर का अनुमोदन लेकर सार्वजनिक नीलामी द्वारा पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक के लिए, या राज्यशासन के पूर्वानुमोदन से सार्वजनिक नीलामी द्वारा या सार्वजनिक निलामी से अन्यथा किसी भी अवधि तक के लिए दिए जा सकेंगे।

(2) पट्टेदार तरण (ferry) के प्रबन्ध और नियंत्रण के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों का पालन करेगा। और वह पदाधिकारी, जिस में तरण (ferry) का निकटतम अधीक्षण निहित हो या यदि तरण (ferry) का प्रबन्ध धारा 6 या 7 के अधीन कोई म्युनिसिपैलिटी या अन्य सार्वजनिक संस्था करती हो तो वह संस्था पट्टेदार से यह मांग कर सकेगी कि वह भाड़े (rent) की नियमित रूप से चुकती करने के लिये उतनी प्रतिभूति दे जितनी यथास्थिति पदाधिकारी या संस्था उचित समझे।

(3) जब टोल (tolls) की सार्वजनिक नीलामी की जाए तो यथास्थिति उक्त पदाधिकारी या संस्था या वह पदाधिकारी जो उसकी ओर से बिक्री का काम कर रहा हो, कारण अभिलिखित करते हुए, सब से अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली को स्वीकार करने से इन्कार कर सकेगा और अन्य किसी भी बोली को स्वीकृत कर सकेगा या टोलों (tolls) को नीलामी से हटा सकेगा।

9. **पट्टेदार से बकाया की वसूली.**—किसी सार्वजनिक तरण (public ferry) के टोलों (tolls) के पट्टेदार से उसके पट्टे के फलस्वरूप देय समस्त बकाया, उस जिले के जिला

मजिस्ट्रेट द्वारा, जिस में उक्त तरण (ferry) स्थित हो पट्टेदार या उसके प्रतिभू, यदि कोई हो, से इस भांति वसूल किए जा सकेंगे मानो वे भूराजस्व का बकाया थे।

10. पट्टा रद्द करने की शक्ति.—(1) राज्यशासन पट्टा रद्द करने के अपने अभिप्राय की लिखित सूचना पट्टेदार को देने के पश्चात् एक मास समाप्त हो जाने पर किसी भी सार्वजनिक तरण (public ferry) के टोलों (tolls) का पट्टा रद्द कर सकेगा।

(2) जब इस धारा के अधीन कोई पट्टा रद्द कर दिया जाए तो उस जिले का जिला मैजिस्ट्रेट जिस में उक्त तरण (ferry) स्थित हो, पट्टेदार को उतना प्रतिधन देगा जितना वह राज्यशासन के पूर्वानुमोदन से परिनिर्णीत (award) करे ।

11. पट्टा छोड़ना.—किसी भी सार्वजनिक तरण (public ferry) के टोलों (tolls) का पट्टेदार उस समय अपना पट्टा छोड़ सकेगा जब उसके द्वारा अपना पट्टा छोड़ने के अभिप्राय की लिखित सूचना राज्यशासन को देने के पश्चात् एक मास समाप्त हो गया हो और उसने उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिसमें उक्त तरण (ferry) स्थित हो, ऐसा प्रतिधन चुका दिया हो जो वह मजिस्ट्रेट राज्यशासन के अनुमोदनाधीन प्रत्येक अवस्था में उचित समझे।

12. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्यशासन के पूर्वानुमोदनाधीन फाइनैन्शियल कमिश्नर या ऐसा पदाधिकारी, जिसे राज्यशासन नाम द्वारा या पदाधिकारी के रूप में इस हेतु समय समय पर नियुक्त करे, इस अधिनियम से सगत नियम बना सकेगा —

(क) समस्त सार्वजनिक तरणों (public ferries) के नियंत्रण और प्रबन्ध के लिए तथा उक्त तरणों (ferries) पर यातायात का आनियमन करने के लिए ;

(ख) उस समयावधि का और उस रीति का जिसके अनुसार तथा ऐसी शर्तों का आनियमन करने के लिए जिन पर उक्त तरणों (ferries) के टोल (tolls) नीलामियों द्वारा दिए जा सकें और वह व्यक्ति विहित करते हुए आनियम बना सकेगा, जिसके द्वारा नीलामियां की जा सकेंगी ;

(ग) उन व्यक्तियों को प्रतिधन देने के लिए जिन्हों ने उक्त किसी तरण (ferry) के प्रयोगार्थ देय टोलों (tolls) के लिए अभिसंधि की हो, जबकि उक्त तरण (ferry) पर कार्य करना अभिसंधित अवधि की समाप्ति से पूर्व छोड़ दिया गया हो ;

(घ) सामान्यतः इस अधिनियम के प्रयोजन पूरे करने के लिए आनियम बना सकेगा और जब किसी तरण (ferry) के टोल (tolls) धारा 8 के अधीन दिए गए हों तो उक्त फाइनैन्शियल कमिश्नर या अन्य पदाधिकारी समय समय पर (पूर्वोक्ताधीन) इस अधिनियम से संगत अतिरिक्त नियम बना सकेगा ;

(च) उक्त तरणों (ferries) के टोलों (tolls) के लिए देय भाड़े (rents) का संग्रहण करने के लिए आनियम बना सकेगा ;

(छ) उन दशाओं में जब यातायात नौकाओं, पीपों या लट्ठों के बेड़े के पुल (pontoons or rafts) या झूला पुल, हवाई पुल या अस्थाई पुल द्वारा स्थापित करना हो,

उस समयावधि का और उस रीति का जिसके अनुसार उक्त पुल बनाया जाएगा और संधृत किया जाएगा तथा उसमें से जलयान (vessels) और लट्ठों के बेड़े ले जाए जाने के लिए खोला जाएगा; और

(ज) उन दशाओं में जब यातायात नौकाओं (boats) द्वारा किया जाए निम्नलिखित का आनियमन करने के लिए :

(अ) उक्त नौकाओं (boats) की संख्या तथा प्रकार और उनकी लम्बाई चौड़ाई (dimensions) और सामग्री (equipment);

(आ) मल्लाहों की संख्या, जो कि प्रत्येक नौका का पट्टेदार रखेगा;

(इ) उक्त नौकाओं (boats) को निरन्तर अच्छी दशा में रखना;

(ई) वह समय जिसके दौरान और वह समयावधि जिसके भीतर पट्टेदार को नौका चलानी पड़ेगी; और

(उ) यात्रियों, पशुओं और वाहनों की संख्या और ऐसी अन्य वस्तुओं का घनत्व और भार जो प्रत्येक प्रकार की नौका में एक बार ले जाई जा सकेंगी।

(2) पट्टेदार यातायात के ऐसे विवरणपत्र देगा जिनकी अपेक्षा जिले का डिप्टी कमिश्नर पूर्वोक्तानुसार या अन्य पदाधिकारी समय समय पर करे।

13. सार्वजनिक तरण (public ferries) से दो मील के अन्तर्गत स्वीकृति लिए बिना कोई भी निजि तरण (private ferries) नहीं चलाए जाएंगे.—जिले के डिप्टी कमिश्नर या ऐसे अन्य पदाधिकारी की स्वीकृति लिए बिना, जिसे राज्यशासन नाम से या पदाधिकारी के रूप में समय समय पर इस हेतु नियुक्त करे, किसी सार्वजनिक तरण (public ferry) की सीमाओं से दो मील की दूरी के भीतर किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति कोई भी तरण (ferry) स्थापित नहीं करेगा या नहीं चलाएगा या नहीं रखेगा :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी विशिष्ट सार्वजनिक तरण (public ferry) की दशा में, राज्यशासन राजपत्र में अधिसूचना दे कर दो मीलों की उक्त दूरी को ऐसी सीमा तक घटा सकेगा जो वह उचित समझे :

परन्तु यह भी कि पूर्वकथित कोई भी उपबन्ध ऐसे व्यक्तियों द्वारा नौकाएं चलाए जाने पर प्रभावी नहीं होगा जो दो स्थानों के बीच नौका चलाते हों और उन स्थानों में से एक स्थान कथित सीमाओं के बाहर हो और एक स्थान भीतर हो तथा दोनों स्थानों के बीच की दूरी तीन मील से कम न हो या पूर्वकथित कोई भी उपबन्ध उन नौकाओं के सम्बन्ध में प्रयुक्त नहीं होगा जो किराए पर न चलाई जाती हो या जिन्हें राज्यशासन इस धारा के प्रवर्तन से स्पष्टतया विमुक्त कर दे।

14. जो व्यक्ति चढ़ने के स्थान इत्यादि (approaches etc.) का प्रयोग करेगा उसे टोल (toll) देना पड़ेगा.—जो कोई भी किसी सार्वजनिक तरण (public ferry) में चढ़ने या उसके ठहरने के स्थान (landing place) का प्रयोग करेगा उसे उक्त तरण (ferry) को पार करने के लिए देय टोल (toll) देना पड़ेगा।

15. टोल (tolls).— (1) ऐसी दर के अनुसार, जो राज्यशासन द्वारा समय २ पर नियत की जाए, किसी सार्वजनिक तरण (public ferry) द्वारा कोई नदी पार करने वाले समस्त व्यक्तियों, पशुओं, वाहनों और अन्य वस्तुओं पर, जो कि सार्वजनिक सेवा के लिए नियुक्त न हों या सार्वजनिक सेवा के लिये न पहुंचाई गई हो, टोल (toll) लगाया जाएगा :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्यशासन समय २ पर यह घोषणा कर सकेगा कि कोई भी व्यक्ति, पशु, वाहन या अन्य वस्तुएं उक्त टोल (toll) की चुकती से विमुक्त होंगी।

(2) जब किसी तरण के टोल (toll) धारा 8 के अधीन दिए गए हों तो ऐसी किसी भी घोषणा द्वारा और यदि उक्त घोषणा पट्टे के दिनांक के उपरांत की गई हो, पट्टेदार टोल (toll) के सम्बन्ध में देय भाड़े (rent) की उतनी छूट का अधिकारी हो जाएगा जो जिले के डिप्टी कमिश्नर द्वारा या ऐसे अन्य पदाधिकारी द्वारा निश्चित की जाए जिसे राज्यशासन समय २ पर इस हेतु नाम से या पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करे।

16. टोलों (tolls) की तालिका.—पट्टेदार या किसी सार्वजनिक तरण (public ferry) के टोलों (tolls) के संग्रहण के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति हिन्दी में मुद्रित या सुपठनीय उक्त टोलों (tolls) की हस्तलिखित एक तालिका और यदि जिले का डिप्टी कमिश्नर निदेश दे तो अंग्रेजी में भी पूर्वोक्तानुसार एक तालिका तरण (ferry) के समीप किसी ध्यानाकर्षी स्थान पर चिपका देगा। और मांग करने पर टोलों (tolls) की वह सूची भी उसे प्रस्तुत करनी पड़ेगी, जिस पर जिले के डिप्टी कमिश्नर के, या ऐसे अन्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर हों, जिसे डिप्टी कमिश्नर ने इस हेतु नियुक्त किया हो।

17. टोल (tolls), भाड़े, (rents) प्रतिधन और अर्थदन्ड, राज्य के राजस्व के भाग होंगे.—इस अधिनियम के अधीन समस्त टोल, (tolls) भाड़े, प्रतिधन और अर्थदण्ड (किसी पट्टेदार द्वारा प्राप्त टोलों (tolls) से अन्य) राज्य के राजस्व के भाग होंगे।

18. टोलों (tolls) की अभिसन्धि.—राज्यशासन यदि उचित समझे तो समय समय पर ऐसी दरें नियत कर सकेगा जिन पर कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक तरण (public ferry) के प्रयोगार्थ देय टोलों (tolls) के लिए अभिसंधि कर सकेगा।

अध्याय 3

निजि तरण (Private Ferries)

19. नियम बनाने की शक्ति.—जिले का डिप्टी कमिश्नर राज्यशासन का पूर्वानुमोदन लेकर सार्वजनिक तरणों (public ferries) को छोड़ कर अन्य तरणों (ferries) पर सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए और यात्रियों तथा सम्पत्ति की सुरक्षार्थ, समय समय पर नियम बना सकेगा।

20. टोल (tolls).—उक्त तरणों (ferries) पर लिए जाने वाले टोलों (tolls) की दर उन अधिकतम दरों से नहीं बढ़ेगी जो तत्समान सार्वजनिक तरणों (public ferries) के लिए धारा 15 के अधीन तत्कालार्थ नियत हो।

अध्याय 4

शास्तियां और दन्ड प्रक्रिया

21. टोलों (tolls) की तालिका, टोलों (tolls) की सूची और यातायात के विवरणपत्र से सम्बद्ध उपबन्धों के भंग के लिए शास्ति.—ऐसा कोई भी पट्टेदार या अन्य व्यक्ति, जिसे किसी सार्वजनिक तरण (public ferry) के टोल (tolls) इकट्ठा करने के लिए प्राधिकार प्राप्त हो, धारा 16 में वर्णित, टोलों (tolls) की तालिका चिपकाने और भलीभान्ति रखने और मरम्मत करने में प्रमाद करता है,

या जो उक्त तालिका को जान बूझकर हटाता है, बदलता है या बिगाड़ता है या इसे अपठनीय होने देता है,

या जो मांग करने पर धारा 16 में वर्णित टोलों (tolls) की सूची प्रस्तुत नहीं कर पाता है,

और ऐसा प्रत्येक पट्टेदार जो धारा 12 के अधीन अपेक्षित कोई विवरणपत्र प्रस्तुत करने में प्रमाद करता है

पचास रुपए तक के अर्थदन्ड का भागी होगा।

22. अनधिकृत टोल (tolls) लेने तथा विलम्ब के लिए शास्ति.—प्रत्येक उक्त पट्टेदार या पूर्वोक्तानुसार ऐसा अन्य व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई निजि तरण (private ferry) हो या जो वैधानिक टोल (tolls) से अधिक टोल (tolls) मांगता हो, या ले रहा हो या बिना किसी उचित कारण से किसी व्यक्ति, पशु, गाड़ी या अन्य वस्तुओं को देर कर रहा हो, ऐसे अर्थदन्ड का भागी होगा जो कि पांच सौ रुपए तक हो सकेगा।

23. धारा 12 और धारा 19 के अधीन बनाए गए नियमों के भंग के लिए शास्ति.—प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो धारा 12 या धारा 19 के अधीन किसी नियम का भंग करने का अपराध करता हो ऐसे कारावास का भागी हो सकेगा, जिसकी अवधि छः महीने तक हो सकेगी या ऐसे अर्थ दन्ड का भागी होगा, जो दो सौ रुपए तक हो सकेगा, या दोनों का भागी हो सकेगा।

24. प्रमाद या नियमों के भंग करने पर पट्टे का रद्द करना.—जब किसी सार्वजनिक तरण (public ferry) के टोलों (tolls) का कोई पट्टेदार उक्त टोलों (tolls) के सम्बन्ध में देय भाड़े (rent) की चुकती में प्रमाद करे या जो धारा 23 के अधीन किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो या जो धारा 21 या धारा 22 के अधीन किसी अपराध का दोषी ठहराए जाने पर पुनः उक्त धाराओं में से किन्हीं के अधीन किसी अपराध का दोषी ठहराया जाए तो जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राज्यशासन की स्वीकृति से उक्त तरण (ferry) के टोलों (tolls) का पट्टा रद्द कर सकेगा और जिस अवधि के लिए टोल (tolls) दिए गए थे उस समस्त अवधि या उसके किसी भाग के मध्य इसकी व्यवस्था के लिए अन्य प्रबन्ध कर सकेगा।

25. अपराध करने वाले यात्रियों पर शास्ति.—प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक तरण (public ferry) से पार होता हो या उस पर चढ़ने के स्थान का प्रयोग करता हो, या उसके ठहरने के स्थान का प्रयोग करता हो और उचित टोल (tolls) देने से इन्कार करता हो,

और प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त टोल (tolls) की चुकती टालने के विचार से छल या बल पूर्वक बिना टोल (toll) दिए उक्त किसी भी तरण (ferry) से पार होता है या

ऐसा व्यक्ति जो टोल संग्रहीता (toll collector) या सार्वजनिक तरण (public ferry) के टोलों (tolls) के पट्टेदार या उसके किसी भी सहायक द्वारा इस अधिनियम के अधीन कार्यसंपादन करने में किसी भी प्रकार से बाधा डालता है, या

ऐसा व्यक्ति जो उक्त किसी भी टोल संग्रहीता (toll collector), पट्टेदार या उसके सहकारी द्वारा ऐसा न करने की चेतावनी देने के पश्चात् भी पार जाता है या किन्हीं पशुओं, गाड़ियों या अन्य वस्तुओं को किसी तरणी (ferry boat) में ले जाता है या उक्त तरण (ferry) पर लगे हुए किसी ऐसे पुल पर से ले जाता है जो ऐसी दशा में हो या इस प्रकार से लादा गया हो, जिससे कि मनुष्य का जीवन तथा सम्पत्ति संकट में पड़ जाए, या

ऐसा व्यक्ति जो उक्त तरणी (ferry boat) या पुल से किन्हीं पशुओं, गाड़ियों या वस्तुओं को छोड़ने या हटाने से इन्कार करता हो या उस में प्रमाद करता हो जब कि टोल संग्रहीता (toll collector) पट्टेदार या उसके सहकारी ने ऐसा करने की प्रार्थना की हो

ऐसे अर्थदन्ड का भागी होगा, जो पंचास रुपए तक हो सकेगा।

26. प्रतिषिद्ध सीमा के भीतर निजि तरण (private ferry) रखने के लिए शास्ति.— जो कोई भी धारा 13 के उपबन्धों को भग करके तरण (ferry) स्थापित करता है (establishes), रखता है या चलाता है, ऐसे अर्थदन्ड का भागी होगा जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा और साथ ही साथ प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिन में उक्त उपबन्धों के अधीन अन्य कोई तरण (ferry) रखा गया हो, या चलाया गया हो एक सौ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदन्ड का भागी होगा।

27. पट्टेदार को देय अर्थदन्ड.—उस दशा में जब कि यहां से पूर्वलिखित उपबन्धों के अधीन किसी सार्वजनिक तरण (public ferry) के टोल (tol's) दिए गए हों तो धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी अपराधी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट के विवेक पर धारा 25 या धारा 26 के अधीन वसूल किए गए अर्थदन्ड की राशि पूर्णतया या अंशतया पट्टेदार को दी जा सकेगी।

28. उतावली से नौका चलाने और इमारती लकड़ी (timber) का ढेर लगाने के लिए शास्ति.—जो कोई भी किसी जलयान (vessel) या लट्ठों के बेड़े (rafts) को इस प्रकार से चलाता है या उसमें लंगर डालता है या तरण (ferry) में खड़ा करता है या बांधता है या ऐसी असावधानी से इमारती लकड़ी का ढेर लगाता है, जिससे कि सार्वजनिक तरण (public ferry) को हानि पहुंचे, तो उसे तीन मास से अनधिक अवधि तक का कारावास दन्ड दिया जा सकेगा या पांच सौ रुपए से अनधिक अर्थदन्ड दिया जा सकेगा या दोनों दन्ड दिए जा सकेंगे और यहां से आगे वर्णित परिपृच्छा और निर्धारण होने तक उक्त तरण (ferry) के टोलों (tolls) का संग्रहीता या पट्टेदार या उसका कोई भी सहकारी उक्त जलयान (vessel), लट्ठे के बेड़े (rafts) या इमारती लकड़ी को जब्त कर सकेगा या रोक सकेगा।

29. बिना वारंट (warrant) के गिरफ्तार करने की शक्ति.— धारा 25 या धारा 28 के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस बिना वारन्ट के गिरफ़्तार कर सकेगी।

30. **अन्वीक्षा करने की शक्ति.**—प्रथम या द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के विरुद्ध किसी भी अपराध की अन्वीक्षा कर सकेगा।

31. **अपराधी द्वारा पहुंचाई गई हानि का निर्धारण मजिस्ट्रेट कर सकेगा.**—(1) प्रत्येक मजिस्ट्रेट, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की अन्वीक्षा कर रहा हो, अपराधी द्वारा सम्बद्ध तरण (ferry) को पहुंचाई गई या की गई हानि (यदि कोई हो) की परिपृच्छा कर सकेगा और उसका मूल्य निर्धारित कर सकेगा और इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी अन्य अर्थदन्ड के अतिरिक्त उक्त मूल्य की राशि अपराधी द्वारा चुकाए जाने का आदेश देगा, और इस प्रकार चुकती करने के लिए आदेशित राशि इस प्रकार वसूल की जाएगी मानो वह अर्थदन्ड था या जब अपराध धारा 28 के अधीन किया गया हो तो हानि पहुंचाने वाले जलयान (vessel), लट्ठों के बेड़े (rafts) या इमारती लकड़ी को बेच कर और उक्त जलयान (vessel) या लट्ठों के बेड़े (raft) पर पाई गई किसी वस्तु को बेच कर वसूल की जाएगी।

(2) इस धारा के अधीन दिए गए आदेश से अपने आपको पीड़ित समझने वाले किसी भी व्यक्ति के अपील करने पर राज्यशासन उक्त आदेश के अधीन देय राशि को कम कर सकेगा या छोड़ सकेगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

32. **पट्टे के समर्पण या रद्द करने पर नौका इत्यादि पर कब्जा करने की शक्ति.**—जब किसी तरण (ferry) के टोलों (tolls) का पट्टा धारा 11 के अधीन छोड़ दिया गया हो या धारा 24 के अधीन रद्द कर दिया गया हो तो जिले का मजिस्ट्रेट समस्त नौकाओं तथा उनकी सामग्री (equipment) और उक्त तरण (ferry) के प्रयोजनार्थ पट्टेदार द्वारा प्रयोगित अन्य समस्त वस्तुएं (materials) और उपकरण अपने अधिकार में ले सकेगा और उन्हें उनके प्रयोग के लिए ऐसा प्रतिधन देकर, जो राज्यशासन प्रत्येक दशा में निदेशित करे, ऐसे समय तक प्रयोग कर सकेगा जब तक उक्त मजिस्ट्रेट उनके स्थान पर सौख्यानुसार अन्य उचित प्रबन्ध न कर पाए।

33. **आकस्मिक दशाओं में उसी प्रकार की शक्तियां.**—जब पदाधिकारियों या भारत सरकार के कर्तव्यारूढ़ सैन्य दलों अथवा सरकारी काम पर लगे हुए अन्य किन्हीं व्यक्तियों या उक्त पदाधिकारियों, सैन्य दलों या व्यक्तियों के किन्हीं पशुओं, गाड़ियों या सामान या किसी सरकारी सम्पत्ति के परिवहन की सुविधा हेतु तरण (ferry) स्थापित करने के लिए उपयुक्त नौकाओं या उनकी सामग्री या वस्तुओं या उपकरणों की तुरन्त आवश्यकता हो तो जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके प्रयोग के लिए ऐसा प्रतिधन चुकाने के पश्चात् उन पर कब्जा कर सकेगा और उन्हें प्रयोग कर सकेगा, जो कि उस दशा में जहां परिवहन की आवश्यकता केन्द्रीय शासन के कार्य से सम्बद्ध हो, केन्द्रीय शासन द्वारा तथा अन्य दशाओं में राज्य शासन द्वारा प्रत्येक अवस्था में उक्त परिवहन की पूर्णता पर्यन्त निदेशित किया जाए।

34. दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रुकावट.—इस अधिनियम के अधीन प्रतिधन की देय राशि का सुनिश्चयन करने के लिए या अनुज्ञेय भाड़े के न्यूनीकरण के सम्बन्ध में कोई दीवानी न्यायालय किसी वाद का संज्ञान नहीं करेगा।

35. शक्ति-अर्पण.—राज्यशासन इस अधिनियम के अधीन स्वप्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों को समय समय पर ऐसे आयन्त्रणों के अधीन, जो वह उचित समझे जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट या अन्य ऐसे पदाधिकारियों को जो वह उचित समझे, नाम से या पदाधिकारी के रूप में प्रदान कर सकेगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

नदी नाले पार करने के लिये हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर तरणों (ferries) का प्रयोग किया जाता है, स्थानीय भाषा में इन्हें भरला कहते हैं। नदी पार करने के लिए नावों का भी प्रयोग किया जाता है। भरलों, किश्तियों, नावों इत्यादि द्वारा तरणों के प्रयोग का आनियम, करने के लिए आजकल कोई भी विधान नहीं है। और यह मांग पूरी करने के लिए तथा उक्त स्थान से नदी पार करने के लिए गैरसरकारी ठेकेदारों द्वारा लिए जाने वाले भाड़े का आनियमन करने के हेतु, हिमाचल प्रदेश तरण विधेयक, 1956, पुर.स्थापित किया जा रहा है।

यशवन्त सिंह परमार

बंशीधर शर्मा,
सचिव।

Printed and Published in India by the Manager, H. P. Govt. Press, Simla-3